न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 43/2018

रईस मोहम्मद पुत्र नन्ने खां जाति मुसलमान तेली निवासी कुरेडी पोस्ट पासरोटिया तहसील पीपलू जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर(भू0अ0) टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 29.10.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर(भू0अ0) टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 19.07.2018 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

शिकायती प्रार्थना पत्र विरूद्व तत्कालीन तहसीलदार टोंक,भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी कस्बा शर्की टोंक तहसील टोंक द्वारा मोहसिना पत्नि रईस मोहम्मद निवासी कुरेडी दिनांक 18.06.2018 जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नामान्तकरण संख्या 2654 दिनांक 11.10.2004 व नामान्तकरण संख्या 2666 दिनांक 25.10.2004 मे रिकार्ड मे हेरा फेरी की गई जांच के लिए क्रमांक 2592-93 दिनांक 25.04.2018 तत्कालीन जिला कलेक्टर(भू.अ.) के द्वारा श्रीमान अति0जिला कलेक्टर महोदय से मांगी गई जांच रिपोर्ट की नकल देने व प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2018 की कार्वाही की गई जांच रिपोर्ट देने का कष्ट करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर(भू.अ.) टोंक (प्रभारी अधिकरी भू-अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक) को पत्र क्रमांक 1340 दिनांक 17.09.2018,1351 दिनांक 08.10.2018 व 1404 दिनांक 18.10.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकरी भू-अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र क्रमांक 5865 दिनांक 18.10.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में सूचित किया जा चुका है कि वह नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क राशि 12/रूपये जमा करवार सूचना प्राप्त करें ओर यदि डाक से प्राप्त करना चाहते हें तो स्वंय का पता लिखा हुआ लिफाफा मय टिकटो के प्रस्तुत करें ताकि सूचना भिजवाई जा सके।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकरी भू-अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक